

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांक :- 3824

दिनांक :- 22.02.19

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

होफ, राजस्थान सरकार

प्रसंग :- F-14 ()2018/FCA/PCCF/EDS-1 dated 12.02.2019 के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :- Construction Of Approach road Jhalrapatan railway station

यूजर एजेन्सी का नाम :- Public Works Department, Jhalawar

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :- 0.90 Hac.

प्रस्तावित जिला एवं वनमण्डल :- Jhalawar District and Jhalawar territorial

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :- FP/RJ/ROAD/38150/2019

A-1 Project Details	- यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट में प्रस्तावित सड़क किस योजना में एवं कितनी लम्बाई में बनाई जानी प्रस्तावित है यह स्पष्ट नहीं है। - अधिकृत अधिकारी के आदेश की प्रति साफ नहीं होने के कारण पढ़ने योग्य नहीं है। - प्रस्ताव में आवेदक का नाम सूर्य प्रकाश गोयल अंकित हैं जबकि हस्ताक्षर दामोदर प्रसाद अग्रवाल के हैं अतः उक्तानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	- Urban योजना में स्वीकृत है। तथा लम्बाई 730 मी. प्रस्तावित है। - सही प्रति संलग्न कर दी गई है। - नाम संशोधित कर संलग्न कर दिया गया है।
A-3 Details of person making application	- यूजर एजेन्सी द्वारा अधिकृत अधिकारी के आदेश की प्रति साफ नहीं होने के कारण पढ़ने योग्य नहीं है। - प्रस्ताव में आवेदक का नाम सूर्य प्रकाश गोयल अंकित हैं जबकि हस्ताक्षर दामोदर प्रसाद अग्रवाल के हैं अतः उक्तानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	- सही प्रति संलग्न कर दी गई है। - नाम संशोधित कर संलग्न कर दिया गया है।
B- Details of land required for forest	यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्व में एक प्रस्ताव जिसमें सैद्धान्तिक स्वीकृति 3.3.2005 को आना अंकित की गई है इसकी विधिवत स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण का स्पष्टीकरण दिया जाना प्रस्तावित है।	उक्त प्रस्ताव कोलाना हवाई पट्टी के 9.41 हेक्टर का था जिसे कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार के प्रस्ताव में सम्मिलित कर ली गई है।
C maps of forest land proposed to be diverted	- यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्न के.एम.एल. फाइल में कुछ पक्की संरचनाएँ दिखाई दे रही है। जिस पर यूजर एजेन्सी की टिप्पणी दी जानी प्रस्तावित हैं इसके अतिरिक्त पॉलीगान की चौड़ाई में अन्तर है जिसे संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। - यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्न डी.जी.पी.एस. मैप के स्थान पर राजस्व मानचित्र संलग्न	- वर्तमान में मौके पर कोई भी संरचना उपलब्ध नहीं है तथा के.एम.एल. फाई में पॉलीगान लाईन की चौड़ाई को सही कर दिया गया है। - डी.जी.पी.एस. मैप जिसमें प्रस्तावित सड़क के वन एवं गैर

	किया गया है जबकि इसमें डी.जी.पी.एस. मेप जिसमें प्रस्तावित सड़क के वन एवं गैर वन भूमि के रंगों में कोई अन्तर नहीं किया गया है साथ ही रेल्वे स्टेशन को नहीं दर्शाया गया है।	वन भूमि को अलग-अलग रंगों में व रेल्वे स्टेशन को भी दर्शा दिया गया है।
D- Justification for locating the project in forest land and details of alternatives examined	1. यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव की औचित्यता संलग्न नहीं किया गया है।	1. संलग्न कर दिया गया है।
Additional information Details	1. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत संलग्न नहीं। 2. प्रोजेक्ट रिपोर्ट 3. प्रस्ताव में संलग्न किये गये क्रॉस सेक्शन 3. 15 मीटर का किया गया है जबकि प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई 30 मीटर ली गई है। 4. एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट में 84/151 में ही वन भूमि दर्शायी गई है। जबकि डी.जी. पी.एस. मेप में 84/152 में भी वन भूमि है अतः संशोधन किया जाना प्रस्तावित है 5. जमाबंदी एवं खसरा मेप पर प्रस्तावित सड़क को मार्क कर संलग्न नहीं किया गया है। 6. प्रस्ताव में दस्तावेजों पर आवेदित (वचनवद्धताओं आदि) वन क्षेत्र एवं दिनांक अंकित नहीं है।	1. संलग्न कर दिया गया है। 2. संलग्न कर दिया गया है। 3. संशोधित क्रॉस सेक्शन संलग्न कर दिया गया है। 4. संशोधित कर दी गई है। 5. संलग्न कर दिया गया है 6. वन क्षेत्र एवं दिनांक अंकित कर दी गई है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना भिजवाये जाने हेतु यूजर एजेन्सी को निर्देशित किया जाता है।



अधिशायी अभियन्ता

सा.नि.वि.

खण्ड, झालावाड़